न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2018/00174/223

1. रामस्वरूप पुत्र हजारी, जाति लौहार, निवासी कादेड़ा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 09.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 38/2017.

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 29.10.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 1841/1 हाल खसरा नंबर 2953 स्थित ग्राम कादेड़ा तह0 केकड़ी में स्थित है जिसमें से 3 बीघा आराजी वादी को दिनांक 15.1.1983 को आवंटन किया गया एवं वादी के नाम नामांतकरण संख्या 9 दिनांक 12.6.1995 को स्वीकार किया गया और मौके पर उसे आवंटन के पश्चात् कब्जा दिया गया तब से वादी लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु बंदोबस्त विभाग ने वादी की आवंटनशुदा आराजी साबिक खसरा नंबर 1841/1 के बंदोबस्त के दौरान बने नवीन खसरा नंबर 2953 को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया है, जिसकी आड़ में तहसीलदार वादी को बेदखली का नोटिस जारी कर रहे है । इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद वाद स्वीकार करने की प्रार्थना पत्र की । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2017 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर सरसरी तोर पर एक तरफा में अपीलाधीन निर्णय प्रदान किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नहीं किया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 1841/1 मे से 3 बीघा आराजी का वादी को दिनांक 15.1.1983 को आवंटन किया एवं मौके पर आवंटन के उपरांत कब्जा दिया गया था तथा वादी के नाम नामांतकरण संख्या 9 दिनांक 12.6.1995 को स्वीकार किया गया तब से वादी आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि गिरदावरी संवत् 2055 से 2058 एवं जमाबंदी के इंद्राज से साबित है किन्तु अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का बिना विवेचन किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 1841/1 हाल खसरा नंबर 2953 में से 3 बीघा आराजी का वादी को आवंटन किया गया एवं वादी के नाम नामांतकरण संख्या 9 दिनांक 12.6.1995 को स्वीकार किया गया इसके बावजूद बंदोबस्त विभाग ने वादी की आवंटनशुदा भूमि के बंदोबस्त के दौरान बने नवीन खसरा नंबर 1841 को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि बंदोबस्त विभाग को किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त करने का अधिकार नहीं है बल्कि रिकार्ड के इंद्राज को आगे दोहराना होता है इसके बावजूद बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी न्यायालय के आदेशों के अपीलांट की आवंटनुशुदा भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया। अपीलांट ने विवादित आराजी के बाबत् एक राजस्व वाद संख्या 374/1997 रामस्वरूप बनाम रघुनाथ उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया था जिसे अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.2.2002 द्वारा विवादित आराजी का अपीलांट को खातेदार काश्तकार मानते हुए प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया था इस कारण भी उक्त निर्णय अधी0न्याया0 पर बाध्यकारी था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2019 पेज 513, आर0एल0डब्ल्यू0 2011 पेज 19, 308 के न्यायिक दृष्टांत एवं विवादित आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद संख्या 374/1997 में पारित निर्णय दिनांक 11.2.2002 की प्रति पेश की ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को विधिवत् नोटस दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलांट को निर्णय की दिनांक को जानकारी नही हो सकी थी । प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.6.2018 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का ने अपीलांट को बताया कि प्रकरण का निस्तारण उसके विरूद्ध हो गया है । तब अपीलांट ने दिनांक 14.6.2018 को केकड़ी जाकर निर्णय की जानकारी कर निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु

आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित खसरा नंबर 2953 रकबा 1.62 है0 गत खसरा नंबर 1841 से बना है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । भूप्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये नक्शे में साबिक खसरा नंबर 1841 के समस्त नवीन खसरा नंबर की तरमीम गलत की गई है इस कारण खसरा नंबर 1841 के हाल खसरा नंबर का पुनः पेमाईश कर कब्जे अनुसार नवीन तरमीम करने पर ही अपीलांट को अनुतोष प्राप्त हो सकता है । अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1841/1 रकबा 793–19–00 बीघा में से 3 बीघा भूमि वादी/अपीलांट को दिनांक 15.1.1983 को ग्राम कादेड़ा राजस्व कैम्प में आवंटित की जाकर अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया जाकर नामांतकरण संख्या 9 दिनांक 12.6.1995 को उक्त भूमि का खातेदार दर्ज किया गया किन्तु भूप्रबंध विभाग ने आराजी खसरा नंबर 1841 के नये नंबर 2953 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 के समक्ष तहसीलदार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरा नंबर 1841 रकबा 793–19–00 बीघा के समस्त नवीन खसरा नंबर की गलत तरमीम की गई है । गत खसरा नंबर 1841 के हाल खसरा नंबर की पुनः पेमाईश कर कब्जे अनुसार भूप्रबंध विभाग द्वारा नवीन तरमीम करने पर ही वादी को अनुतोष दिया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार के उपरोक्त जवाब के आधार पर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 को चाहिये था कि वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में आवश्यक तनकियात कायम करते तत्पश्चात् उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करते । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र प्रतिवादी के जवाबदावे के आधार पर वाद को निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । यदि वाद में भूप्रबंध विभाग आवश्यक पक्षकार थे तो भूप्रबंध विभाग को वाद में पक्षकार कायम कर, भूप्रबंध विभाग से जवाब प्राप्त कर वाद में आवश्यक तनकियात कायम करने के उपरांत बाद साक्ष्य वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट के वाद को सरसरी तौर पर निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में यदि वाद में भू–प्रबंध विभाग आवश्यक पक्षकार हो तो उन्हें वाद में पक्षकार संयोजित कर वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । यदि आवश्यक हो तो भू–प्रबधं विभाग को वाद में पक्षकार कायम कर । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर